सं. 05/5/2019 – रा. भा. (सेवा) पार्ट - 1
भारत सरकार
गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी – II भवन,
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली – 110 001
दिनांक: 16 जनवरी, 2020

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारी/ कार्मिक प्राय: अपने स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती हेतु आवेदन पत्र स्वयं ही सीधे राजभाषा विभाग को भेज देते हैं जो कि उचित नहीं है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में कार्यरत सभी अधिकारियों/ कार्मिकों को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में वे अपने स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती हेतु आवेदन उचित माध्यम से ही राजभाषा विभाग को भेजें। राजभाषा विभाग में वही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जो उचित माध्यम से प्राप्त होंगे।

राजभाषा विभाग से किसी भी प्रकार का पत्राचार अपने कार्यालय जहां पर तैनाती की गई है उनके माध्यम से न करके सीधे पत्राचार करने व राजनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से पत्राचार करने पर अधिकारियों/ कार्मिकों के विरूद्ध सीसीएस (कंडक्ट) रूल 6 (14) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

(नेह श्रीवास्तव)
अवर सचिव (सेवा)

सेवा में,

1. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों के निदेशक (प्रशासन/ स्थापना)।
2. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/ कर्मचारी।
3. श्री नगेंद्र सिंह, तकनीकी निदेशक (एन आई सी)। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।